म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण-तौलकांटा/266/2022-23/1535 भोपाल, दिनांक 16/01/2023

प्रति,

1- अपर संचालक
नियमन/एमआईएस

2- अधीक्षण यंत्री
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल

3- संयुक्त संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय –समस्त (इन्दौर को छोडकर)

4- कार्यपालन यंत्री,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग -समस्त

विषय- मंडी बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/बी-7/2/तौलकांटा/14/2018-19/397 दि. 17/10/2019 के संशोधन प्रारूप पर प्रस्ताव बावत।

संदर्भ- मंडी बोर्ड का आदेश क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण-तौलकांटा/266/2022-23/1318-19 दिनांक 14/12/2022 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 1405-06, एवं 1407-08 दिनांक 27/12/2022

विषयान्तर्गत संदर्भित् पत्र के माध्यम से प्रदेश की कृषि मंडी समिति/उपमंडियों में निजी व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) आधार पर इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज स्थापना एवं संचालन हेतु मंडी बोर्ड द्वारा जारी संदर्भित संशोधन प्रारूप में योग्य अभिमत चाहे गये थे।

कृपया प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशानुसार नवीन परिपत्र प्रारूप अध्ययन कर योग्य संशोधन आज ही भेजे।

अपर संचालक(प्रांगण/सम्पदा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण-तौलकांटा/266/2022-23/1536 भोपाल, दिनांक 16/01/2023

प्रतिलिपि -

(1)- निज सहायक, प्रबंध संचालक सह आयुक्त, मंडी बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(2)- सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति --------------(समस्त) की ओर योग्य सुझाव उक्त समय-सीमा में **property.mpsamb@gmail.com** में प्रेषित करे।

अपर संचालक(प्रांगण/सम्पदा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण/तौलकांटा/2022/ भोपाल, दिनांक /12/2022

परिपत्र

विषय :- प्रदेश की मंडियों में कृषकों तथा व्यापारियों को तौल की सुविधा प्रदान करने हेतु बीओटी आधार पर इलेक्ट्रानिक व्हेब्रिज (बडे तौलकांटे) संस्थापना की प्रक्रिया।

01.परिचय :-

प्रदेश की मंडियों के प्रांगण में आने वाली कृषि उपज की तौल बी.ओ.टी. (निर्माण, प्रवर्तन तथा अंतरण) के आधार पर स्थापित एवं संचालित तौलकांटों से कराये जाने की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में दिशा-निर्देश बोर्ड के पत्र क्रमांक/बी-7/2/तौलकांटा/14/204 भोपाल दिनांक 15.06.2010, पत्र क्रमांक/बी-7/2/तौलकांटा/14/324 भोपाल दिनांक02.11.2011, क्रमांक/बी-7/2/तौ०कांटा/14/2627 भोपाल दिनांक 13.04.2017 एवं क्रमांक/बी-7/2/तौलकांटा/14/3478 भोपाल दिनांक 13.04.2017, क्रमांक/बी-7/2/तौ०कांटा/14/1259 भोपाल दिनांक 02.02.2018 तथा क्रमांक/बी-7/2/तौकां/14/2018-19/397 भोपाल, दिनांक 17.10.2019 द्वारा जारी किये गये थे। बी.ओ.टी. पर स्थापित तौलकांटों से तौल कराए जाने की व्यवस्थाओं के संबंध में प्रतिवेदित व्यवहारिक एवं प्रशासनिक कठिनाईयों के दृष्टिगत उल्लेखित सभी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए म.प्र.कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम-2009 के नियम-20(1)(एक) में प्रदत्त अधिकार अंतर्गत मंडी/उपमंडी प्रांगणों में बी.ओ.टी. तौलकांटों की स्थापना के नवीन निर्देश, अनुज्ञप्ति तथा करार के निबंधन की शर्तें निर्धारित की जाती हैं।

02. आवश्यकता का आंकलन :-

कृषि उपज मंडी समिति के प्रत्येक प्रांगण में कृषकों की कृषि उपज आने तथा जाने वाली व्यापारिक कृषि उपज की मात्रा का आंकलन कर बी.ओ.टी. आधार पर इलेक्ट्रोनिक तौलकांटों (व्हेब्रिज) की संस्थापना की आवश्यकता व औचित्य का निर्धारण संयुक्त् संचालक आंचलिक कार्यालय, कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग तथा सचिव मण्डी की आंकलन समिति द्वारा किया जावेगा, तदाशय का प्रस्ताव ठहराव मंडी समिति के सम्मेलन में पारित किया जाएगा। सामान्यतः वर्ष में 180 दिवस प्रति प्रांगण 200 ट्रैक्टर ट्राली आवक एवं 100 ट्रक व्यापारिक जावक पर एक 10 से 30 टन क्षमता का तौलकांटा तथा 30 से 100 टन तौलकांटा पेयर में लगाने की कार्यवाही की जावेगी।

03. तौलकांटे संस्थापना के मार्गदर्शी सिध्दांत :-

मंडी समिति बी.ओ.टी. के आधार पर लगने वाले तौलकांटों की स्थापना के लिए ऐसे स्थान का चयन करेगी जहां कि कृषकों की ट्रैक्टर उपज तौल के लिए 10 टन से 30 टन क्षमता वाले तथा व्यापारियों के ट्रकों की तौल के लिए 30 टन से 100 टन क्षमता वाले 02 तौलकांटे पेयर में एक साथ लगाए जा सकें तथा उक्त स्थान पर एक साथ 50 ट्रैक्टर

और 50 ट्रक एक साथ अलग-अलग कतार में वजन तुलाने के लिए खड़े किए जा सके। इसके पश्चात भी मण्डी प्रांगण में यातायात सुगमता से आवागमन हो सके। मंडी समिति के अन्य कार्य प्रभावित न हो।

मंडी समिति कंडिका क्रमांक-02 में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव में "स्थान का चयन/चिन्हांकन का विवरण भी प्रस्तुत करेगी। उक्त प्रयोजन के लिए यदि स्थान चिन्हित न हो तो समिति, ले-आउट में तदनुसार संशोधन का प्रस्ताव कर सक्षम अनुमोदन की प्राप्ति सुनिश्चित करेगी।

04. प्रांगण में अतिरिक्त तौलकांटा लगाया जाना:-

प्रदेश की मंडी/उपमंडी प्रांगणों में कृषकों द्वारा 10 मे.टन क्षमता के इलेक्ट्रानिक तौलकांटे की आवश्यकता की अत्यधिक मांग है अतः जिन मंडियों में 10 से 30 टन क्षमता के तौलकांटे स्थापित हैं वहां मण्डी बोर्ड मुख्यालय की अग्रिम अनुमति से 30 से 100 टन के तौलकांटे लगाए जा सकेंगे। व्यापारिक तौल हेतु उच्च क्षमताओं के यथा 30, 50, 60, 80, 100 मे.टन आदि के तौलकांटे स्थापित किये जायेंगे।

05. ऐसी स्थिति में जहां मंडी समिति के प्रांगण में पूर्व से बी.ओ.टी. के आधार पर तौलकांटा स्थापित है एवं मंडी समिति में आने वाली कृषि उपज की तौल, सुचारू रूप से इस कांटे पर नहीं हो सकने के कारण एक अतिरिक्त तौलकांटा स्थापित किया जाना हो तो उसकी उपयोगिता तथा आवश्यकता का परीक्षण कर मुख्यालय स्तर से अग्रिम अनुमति प्राप्त की जावेगी।

06. मंडी प्रांगणों में स्थापित बी.ओ.टी. तौलकांटों की क्षमता में वृद्धि के स्थान पर अतिरिक्त तौलकांटा लगाया जाना अधिक उपयोगी होने से उक्त को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जावेगा जिसका परीक्षण उपरान्त निर्णय लिया जा सकेगा। यह कार्य तौलकांटा संचालक के व्यय पर किया जावेगा।

07. तौलकांटों के स्थानान्तरण करने की व्यवस्था:-

यदि कोई मंडी नवीन मंडी प्रांगण में स्थानांतरित होती है तो मंडी का क्रय-विक्रय नवीन मंडी प्रांगण में स्थानांतरित होने से पुराने मंडी प्रांगण में स्थापित बी.ओ.टी. तौलकांटा नवीन मंडी प्रांगण में वरिष्ठालय की अनुमति से स्थानान्तरित कर स्थापित किया जा सकेगा। जिसका सम्पूर्ण व्यय तौलकांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा। बी.ओ.टी. तौलकांटे का एक प्रांगण किसी स्थान पर अनुपयोगी होने से उसे मण्डी के अन्य स्थान/प्रांगण/उपमण्डी में तौलकांटा संचालक की सहमति में स्थानांतरित किया जा सकेगा एवं जिसका सम्पूर्ण व्यय तौलकांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त तौलकांटा नवीन प्रांगण में स्थानान्तरण करने के पूर्व कार्यपालन यंत्री तथा संयुक्त संचालक की अनुशंसा पर मण्डी बोर्ड मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अन्यथा नवीन मंडी प्रांगण में नये तौलकांटे को नये सिरे से स्थापित करने की कार्यवाही की जाना होगी।

08. कृषकों की तौल ऐच्छिक तथा दर रियायती व कम होना:-
प्रांगण में कृषकों की तौल हेतु 10 से 30 टन के तौलकांटे पेयर में 30 से 100 मी.टन डिजीटल वेब्रिज के समीप स्थापित किए जाएंगे जिसमें कि तौलकांटे पर कृषकों की कृषि उपज की तौल ऐच्छिक रहेगी तथा कृषकों की आवक की तौल दरें व्यापारी जावक/निकासी की तौल दरों की तुलना में तथा स्थानीय बाजार दरों की तुलना में रियायती होकर कम होगी। कृषक द्वारा कृषि उपज की तौल कराने पर प्राथमिकता के आधार पर उसकी तौल पहले कराना होगी।

09. कृषकों की तौल भुगतान पत्रक पर अंकित व मान्य होना:-
कृषकों की तौल सामान्यत: 10 से 30 टन के तौलकांटों पर होकर उसका तौल वजन, तौल पर्ची के तौर पर मान्य होकर उसी के आधार पर भुगतान पत्रक 37(2) में कृषक की जिंस की मात्रा अंकित होगी।

10. भूखण्ड के आवंटन की अवधि:-
इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटों (व्हेब्रिज) तौलकांटा स्थापित करने हेतु भू- खण्ड का आवंटन किराये पर किया जावेगा तथा आवंटन की अवधि 20 वर्ष होगी। 20 वर्ष की समयावधि के उपरान्त 10-10 वर्ष के लिए तौलकांटा संचालन की अवधि में वृद्धि मंडी समिति द्वारा अनुबंध की निर्धारित शर्तों पर की जावेगी, जिसमें यह शर्त अनिवार्य रूप से होगी कि संचालनकर्ता के द्वारा अद्यतन तकनीकी डिजीटल लोड सेल का इस्तेमाल किया जावेगा और तौलकांटे में आवश्यक उपकरण यदि बदलने योग्य हो तो संबंधित मण्डी समिति/बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें बदलना होगा।

इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत पूर्व के जिन अनुबंधों की 20 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी समयावधि 10-10 वर्ष बढाने की कार्यवाही की जावेगी।

11. आवंटित भूखण्ड का आकार:-
आवंटित किए जाने वाले भू-खण्ड का आकार अधिकतम 20X20 वर्गमीटर होगा। उपरोक्त सीमा से कम आवश्यकता होने पर उसी आकार क्षेत्र के भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा।

12. तौलकांटे हेतु पात्रता:-
बी.ओ.टी. आधार पर तौलकांटा लगाने के लिए व्यक्ति/फर्म /संस्था/सहकारी संस्थाएं पात्र होंगी तथा सफल निविदाकार को तौलकांटा आवंटन होने पर "आवंटिती" अथवा "तौलकांटा संचालक" कहा जावेगा।

13. अतिरिक्त तौलकांटे स्थापना हेतु पूर्व से कार्यरत तौलकांटा संचालक को प्राथमिकता:-
प्रांगण में अतिरिक्त तौलकांटा लगाये जाने के औचित्य स्थापित होने और सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त होने पर नये तौलकांटे (विभिन्न क्षमता) की स्थापना बी.ओ.टी. के आधार पर होगी। इस हेतु विज्ञप्ति जारी कर प्रीमियम तथा वार्षिक किराए के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। वर्तमान तौलकांटा संचालनकर्ता को उपरोक्त प्रक्रिया से प्राप्त अधिकतम दरों के समान दर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावेगा। यदि वह उक्त दरों पर कार्य करने से सहमत है तो उसको अतिरिक्त तौलकांटा स्थापित करने के आदेश दिये जायेंगे।

यदि वह सहमत नहीं होता है तो जिस निविदाकार द्वारा उच्च दरें दी गयी हैं उसको तौलकांटा स्थापित करने के लिए आदेश दिये जायेंगे। इस निविदा आमंत्रण में उक्त शर्त को "विशेष शर्त के रूप में" निविदा प्रपत्र में उल्लेखित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि इस निविदा प्रक्रिया से प्राप्त उच्च दरों पर वर्तमान तौलकांटा संचालक स्थापित करने का इच्छुक होगा तो संबंधित निविदाकार द्वारा निविदा प्रक्रिया में किया गया व्यय वर्तमान तौलकांटा संचालक को वहन करना अनिवार्य होगा।

सीजन में कृषि उपज को तौलने हेतु तौलकांटा संचालक मण्डी प्रांगण में अस्थाई अतिरिक्त प्लेटफार्म एवं अस्थाई केबिन स्थापित कर सकता है। जिसकी शर्तें पृथक से परस्पर निर्धारित होगी। यदि प्रस्तावित अतिरिक्त प्लेटफार्म मशीन/वेब्रिज को तौलकांटा संचालक उसे पूर्व से आवंटित भूमि पर स्थापित वेब्रिज प्लेट के समीप स्थापित करना चाहता है, तो उसे अतिरिक्त प्लेटफार्म हेतु प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वार्षिक प्रब्याजी तथा 10 प्रतिशत वार्षिक किराया अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

14. यदि वर्तमान तौलकांटा संचालक अतिरिक्त तौलकांटा लगाने हेतु अन्य नवीन भूमि पर सहमत होता है तो उसे 01 माह की अवधि में तौलकांटा स्थापित करना आवश्यक होगा, साथ ही निर्धारित धरोहर राशि एवं 50 प्रतिशत प्रीमियम राशि आदि देय राशियां भी यथा समय जमा करना आवश्यक होगा। इस कार्यवाही के पूर्ण होने पर मंडी समिति में ठहराव प्रस्ताव कर प्रबंध संचालक का अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

15. टैंडर प्रक्रिया :-

तौलकांटे हेतु भूखण्ड आवंटन के लिए प्रस्तावित प्रीमियम राशि के ई-टेण्डर आमंत्रित किए जाएंगे तथा निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार एक राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र तथा एक स्थानीय समाचार पत्र जिसका प्रसार सर्वाधिक हो, में भी किया जावेगा। निविदा प्रपत्र की कीमत राशि रूपये 1,000/- होगी।

16. धरोहर राशि:-

तौलकांटा स्थापना हेतु आमंत्रित निविदाओं में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ निम्नानुसार धरोहर राशि सचिव, कृषि उपज मंडी के नाम पर एफ.डी.आर. के रूप में जमा की जावेगी:-

मंडी का संवर्ग	जमा की जाने वाली धरोहर राशि
क	1,00,000 रूपये
ख	75,000 रूपये
ग	50,000 रूपये
घ	25,000 रूपये

17. निविदा समिति:-

उपरोक्तानुसार प्राप्त निविदाओं को खोलने की कार्यवाही निम्नानुसार गठित समिति द्वारा की जावेगी :-

01. अध्यक्ष, मंडी समिति/भारसाधक अधिकारी

02.कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी

03.संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय अथवा उनके प्रतिनिधि

04.तकनीकी संभाग के कार्यपालन यंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि के रूप में सहायक यंत्री

05.मंडी समिति के निर्वाचित 02 कृषक सदस्य जिसमें से एक महिला हो

06.निर्वाचित व्यापारी सदस्य/व्यापारी एसोसिएशन का प्रतिनिधि

07.सचिव, मण्डी समिति - संयोजक सदस्य होंगे।

18. निविदाओं का परीक्षण:-

निविदा समिति प्राप्त निविदाओं का परीक्षण करेंगी। बैठक में अध्यक्ष मण्डी समिति, कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी, संयुक्त/उप संचालक अथवा उनके प्रतिनिधि, कार्यपालन यंत्री प्रतिनिधि, नामांकित मण्डी समिति के निर्वाचित सदस्यों में से कम से कम चार सदस्य की उपस्थिति सुनिश्चित होने पर ही सचिव, मण्डी समिति द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी।

19. सचिव मंडी समिति द्वारा सभी अर्हताएँ पूर्ण करने वाले निविदाकारों में उपरोक्तानुसार निर्धारित वार्षिक किराये के अलावा वार्षिक प्रीमियम की अधिकतम दर देने वाले निविदा के निर्धारण हेतु तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करेंगे। जिस पर कि निविदा समिति द्वारा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की जाएगी।

20. प्रीमियम निर्धारण :-

मंडी समिति में स्थापित किये जाने वाले बीओटी तौलकांटे पर कृषि उपज की तौल के लिए प्रति ट्राला/प्रति ट्रक/प्रति ट्राली/प्रति बैलगाडी एवं हाथ ठेला आदि के लिए तुलाई की दरें निर्धारित करना होगी, जो भूखण्ड आवंटन के लिए जारी किए जाने वाले निविदा प्रपत्र में उल्लेखित रहेगी। इन दरों को समय-समय पर संशोधन करने के अधिकार मंडी समिति को होंगा। यह समयावधि एक वर्ष से कम नहीं होगी।

परन्तु बढ़े हुए व्यय के तारतम्य में तुलाई की दरें भी प्रति 03 वर्ष पश्चात् मंडी समिति एवं तौलकांटा संचालक की आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकेंगी। यह प्रावधान इस परिपत्र जारी होने के दिनांक से नये अनुबंधों पर मान्य होगा।

21. मण्डी प्रांगण नगर से बाहर स्थानान्तरित होने पर अथवा अन्य कारण से कृषि विपणन गतिविधियां क्रय-विक्रय प्रांगण में समाप्त या आंशिक होने पर तौलकांटा संचालक को तत्संबंधी आवक व जावक के तथ्यात्मक आंकडों के आधार पर अपनी वार्षिक प्रीमियम एवं वार्षिक किराया राशि को कम कराने हेतु अपील का अधिकार होगा। मण्डी समिति विचार कर प्रतिवेदन प्रबंध संचालक को निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।

22. न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम:-

न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम का निम्नानुसार होगी:-

"क" श्रेणी मंडी	राशि रूपये 1,00,000
"ख" श्रेणी मंडी	राशि रूपये 75,000
"ग" श्रेणी मंडी	राशि रूपये 50,000

"घ" श्रेणी मंडी	राशि रूपये 25,000
उपमंडी हेतु	राशि रूपये 20,000

वार्षिक तौलकांटा प्रीमियम की राशि संबंधित तौलकांटा संचालक द्वारा एक मुश्त प्रतिवर्ष मंडी समिति में जमा करानी होगी। प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात मूल प्रीमियम राशि में 10% की वृद्धि मंडी समिति द्वारा की जावेगी।

23. रक्षित पेशगी (Secured Advance):-

निविदा सफल होने पर सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध के पूर्व वार्षिक प्रीमियम के 50% राशि अतिरिक्त रूप से बतौर रक्षित पेशगी (Secured Advance) जमा की जावेगी।

24. जमा धरोहर राशि सुरक्षा निधि तथा उपरोक्त बिन्दु क्रमांक-20 अन्तर्गत वार्षिक प्रीमियम के 50% (पचास प्रतिशत) के रूप में जमा की गई राशि रक्षित पेशगी (Secured Advance) के रूप में मंडी समिति के पास अनुबंध अवधि तक जमा रहेगी। जिस पर कि कोई ब्याज देय नहीं होगा।

25. किराया निर्धारण :- आवंटित किए जाने वाले भूखण्ड का वार्षिक किराया निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यपालन यंत्री, तकनीकी कार्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा। उक्त भूखण्ड के किराये में प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात 10% (दस प्रतिशत) की वृद्धि की जावेगी।

26. अनुबंध की अवधि:-

अनुबंध की अवधि 20 वर्ष के लिए प्रभावशील होने से अनुबंध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची-1-क के अनुसार निर्धारित दर से स्टाम्पित होना अनिवार्य रहेगी। भूखण्ड के वार्षिक किराया का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका पर आधारित रहेगा एवं संबंधित तकनीकी संभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

27. अनुबंध का निष्पादन:-

निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार अधिकतम प्रीमियम का आफर देने वाले निविदाकार की निविदा, मंडी समिति द्वारा संकल्प पारित कर प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड से अनुमोदित कराई जावेगी। तदुपरान्त कार्यादेश देने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।

28. मासिक किराया जमा करना:-

तौलकांटा संचालक द्वारा तौलकांटे की स्थापना हेतु आवंटित भूमि के वार्षिक किराये के मासिक राशि का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से मंडी समिति को अग्रिम कराना होगा। नियत अवधि में किराया राशि जमा नहीं करने पर मासिक किराया मय 12 प्रतिशत ब्याज पैनाल्टी राशि अधिरोपित की जावेगी।

29. समय सीमा में राशि जमा न कराने पर पेनाल्टी:-
निष्पादित अनुबंध की दिनांक से तीस दिवस समय सीमा के अन्दर प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर वार्षिक प्रीमियम राशि पर 12% वार्षिक ब्याज के आधार पर देरी की अवधि हेतु पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी।

30. छः माह में प्रीमियम जमा न कराने पर अनुबंध निरस्तीकरण:-
छः माह तक निर्धारित प्रीमियम एवं पेनाल्टी राशि संपूर्ण रूप से जमा न करने की स्थिति में तौलकांटा संचालक का अनुबंध निरस्त कर सुरक्षा निधि व उसके द्वारा बनाये गये कक्ष, तौलकांटा आदि संरचनायें मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा उसकी सार्वजनिक नीलामी कर अन्य तौलकांटा संचालक को अस्थाई या स्थाई तौर पर उक्त तौलकांटा व संरचना सौंपकर उससे उक्त अवशेष राशि वसूल की जावेगी। नीलामी में प्राप्त अधिक राशि संबंधित को लौटाई जावेगी। यदि राशि कम पड़ती है तो आर.आर.सी. के तहत तौलकांटा आवंटिती से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

31. नियत अवधि में तौलकांटा संचालक से अनिवार्य रूप से प्रीमियम की वसूली मंडी समिति द्वारा की जावेगी, इसके लिये, मंडी सचिव जिम्मेदार होगें।

32. तौलकांटों की संस्थापना:-
तौलकांटे की स्थापना एवं रख-रखाव तथा विद्युत आदि का सम्पूर्ण व्यय तौलकांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा। इसी प्रकार तौल-कांटे के संचालन पर प्रतिवर्ष होने वाले व्यय का वहन भी संबंधित तौलकांटा संचालक द्वारा किया जावेगा।

33. तौलकांटे की स्थापना एवं संचालन के लिए तौलकांटा संचालक द्वारा पक्के पिट (आवश्यकतानुसार) एवं केबिन का निर्माण किया जा सकेगा। केबिन के पास अथवा छत पर आपरेटर के विश्राम हेतु कक्ष सह वाशरूम निर्माण किया जा सकेगा। जिसका उपयोग किसी अन्य व्यापारिक कार्यों व प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए नहीं किया जावेगा। उक्त प्रावधान पूर्व स्थापित बीओटी तौलकांटों पर भी प्रभावशील रहेगा। तौलकांटा संचालक एक आवंटित भूमि पर मण्डी की सहमति से एक वाशरूम स्थापित कराएगा।

34. बी.ओ.टी तौलकांटे संस्थापना के मानदण्ड :-
तौलकांटे की स्थापना का कार्य आई.एस. 9281 वर्ष 1979 एवं अद्यतन संशोधित वर्ष 2014 से एवं आई.एस. 16514 (Part-1)-2018 से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया जावेगा। इसका सत्यापन संबंधित कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड, तकनीकी संभाग तथा संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय के द्वारा की जाने पर मुख्यालय से प्रारंभ करने की अनुमति दी जावेगी।

35. तौलकांटा संचालक को तौलकांटा आवंटन दिनांक से तीन माह के अंदर स्थापित कर कार्यशील करना होगा अन्यथा विलंब की स्थिति में संबंधित पर वार्षिक प्रीमियम राशि पर 12 % ब्याज की दर से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी।

36. अन्य सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिये समय की गणना तौलकांटा आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) माह बाद से की जावेगी। आगामी तीन माह तक यदि पेनाल्टी राशि सम्पूर्ण

रूप से जमा करने के उपरान्त भी तौलकांटा प्रारम्भ नहीं किया गया तो तौलकांटा संचालक का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

37. अगर कोई तौलकांटा संचालक तौलकांटे हेतु निर्धारित वार्षिक प्रीमियम सम्पूर्ण निविदा अवधि अर्थात 20 वर्ष प्रावधानित वृद्धियों को गणना में लेते हुए संपूर्ण प्रीमियम राशि एकमुश्त अग्रिम जमा कराता है तो उसे निर्धारित वार्षिक किराये में 50% (पचास प्रतिशत) की छूट की पात्रता होगी।

38. तौलकांटा संचालक मंडी प्रांगण में बी.ओ.टी. आधार पर तौलकांटा स्थापित एवं सफलता पूर्वक संचालित करने की न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् यदि किन्हीं कारणों से उक्त व्यवस्था में निरन्तर संचालित करने का इच्छुक नहीं हो अथवा असमर्थ हो तो वह इस व्यवस्था को किसी अन्य सक्षम व्यक्ति अथवा फर्म को हस्तांतरित कर सकता है। इसके लिये उसे पूर्ण प्रस्ताव मंडी समिति को प्रस्तुत करने होंगे, जिसका परीक्षण कर मंडी समिति संकल्प पारित कर प्रबंध संचालक से अनुमोदन प्राप्त करेगी।

39. अन्तरण मान्य होने पर पूर्व तौलकांटा संचालक द्वारा परिपत्र की कण्डिका कमांक 16 के तहत निर्धारित जमा कराई गई धरोहर राशि मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा नवीन तौलकांटा संचालक को उपरोक्तानुसार ही धरोहर राशि मंडी की एफ.डी.आर. के रूप में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के नाम से पृथक से जमा करना होगी तथा नवीन अनुबंध निष्पादित करना होगा।

40. तीन वर्ष की अवधि का बंधन तौलकांटा संचालक की अकस्मात मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता की स्थिति में लागू नहीं होगा अर्थात ऐसी स्थिति में शेष प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये, अन्तरण किया जा सकेगा। उपरोक्त के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही में जिस व्यक्ति/फर्म इत्यादि को कार्य अंतरण होगा उसकी अवधि पूर्व अनुबंध की शेष अवधि रहेगी।

41. अन्तरण होने की स्थिति में प्रथम अनुबंधकर्त्ता की प्रीमियम राशि की 50% जमा रक्षित पेशगी (Secured Advance) राशि वापिस की जायेगी। परन्तु जब तक द्वितीय अनुबंधकर्त्ता द्वारा उतनी ही रक्षित पेशगी (Secured Advance) राशि जमा नहीं की जायेगी तब तक प्रथम अनुबंधकर्त्ता की उक्त राशि विमुक्त नहीं की जायेगी।

42. तुलैया की अनुज्ञप्ति :-
तौलकांटे के संचालन हेतु संबंधित तौलकांटा संचालक को मण्डी अधिनियम की धारा 32 के अधीन मंडी समिति से तुलैया की अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। उपविधि 2000 की कंडिका 24(5) एवं 24(7) के प्रावधान तौलकांटा संचालक पर लागू रहेंगे।

43. अनुज्ञा पत्र हेतु व्यापारिक तौल की अनिवार्यता:-
मंडी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा क्रय की गई कृषि उपज को प्रांगण से बाहर विक्रय/संग्रहण/प्रसंस्करण हेतु निकालने, ले जाए जाने पर जारी होने वाली अनुज्ञा एवं अन्य

संबंधित अभिलेखों में दर्ज किये जाने वाले वास्तविक वजन का सत्यापन बी.ओ.टी., मंडी एवं उपमंडी प्रांगण में स्थापित अन्य बड़े तौलकांटे से किया जाना अनिवार्य होगा।

44. ई-अनुज्ञा में बी.ओ.टी. अथवा मण्डी तौलकांटे का वजन लागू होना:-
ई-अनुज्ञा में मंडी में स्थापित बड़े तौलकांटे अथवा बी.ओ.टी. तौलकांटे पर वजन कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा। जारी की जाने वाली अनुज्ञा में मंडी द्वारा स्थापित या बीओटी आधार पर स्थापित तौलकांटे की पर्ची नंबर दर्ज किया जाना आवश्यक है।

45. मंडी द्वारा जारी अनुज्ञाओं का विवरण बी.ओ.टी. तौलाकांटा संचालक के मांगने पर दिया जाना होगा। मंडी प्रांगण के बाहर की तौल के आधार पर अनुज्ञा जारी किया जाना प्रतिबंधित है।

46. प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी/उपमंडी प्रांगणों में स्थापित बी.ओ.टी. तौलकांटो पर यदि कोई व्यक्ति/फर्म/संस्था अपने गैर कृषि जिन्सों का तौल करना चाहती है तो ऐसें वाहनों की तौल बी.ओ.टी. तौलकांटों पर की जाने की अनुमति होगी। जिसकी तुलाई की दरें तौलकांटा संचालक एवं कृषि उपज मंडी समिति की आपसी सहमति से तय की जावेगी। यह सुनिश्चित किया जावेगा कि गैर कृषि जिन्सों की तौल ऐसे समय पर की जावे, जब मंडी/उपमंडी प्रांगणों में कृषि जिन्सों का क्रय-विक्रय का तौल कार्य प्रक्रियाधीन न हो, ताकि मंडी की मुख्य गतिविधियां प्रभावित न हो एवं मंडी की आवक तथा आय पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

47. वैधानिक दायित्व :
तौलकांटा संचालक को अपने स्वयं के व्यय पर तौलकांटे को उपयोग में लाने के पूर्व नियंत्रक नाप-तौल विभाग के नियमों में यथा निर्धारित समयावधियों पर तौलकांटे का सत्यापन एवं स्टेम्पिंग आदि वैधानिक कार्यवाहियां मण्डी समिति के सचिव के समक्ष कराया जाना आवश्यक होगा एवं तत्संबंधी प्रमाण-पत्र भी समय-समय पर मंडी समिति में जमा करना होगा एवं सत्यापित छायाप्रति तौलकांटे के केबिन में उपयुक्त प्रकार से प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।

48. तौलकांटे तक आवागमन हेतु डब्ल्यू0बी0एम0 या डामरीकृत सड़क का निर्माण मंडी समिति द्वारा स्वयं किया जावेगा।

49. निगरानी हेतु सीसीटीवी :-
बी.ओ.टी. तौलकांटा संचालक अपने व्यय पर बाहर से आने वाले वाहनों की निगरानी हेतु बाहर की तरफ एवं तौलकांटे से तुलाई की स्थिति स्पष्ट करने हेतु स्थापित कक्ष के अंदर एवं तुलाई उपरान्त बाहर जाने वाले वाहनों की निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित करेगें।

50. तौल हेतु संपूर्ण व्यवस्था कम्प्यूट्रीकृत किया जाना अनिवार्य होगा। कम्प्युट्रीकृत रसीद का रिकार्ड मासिक आधार पर तौलकांटा संचालक द्वारा संधारित किया जावेगा, जो कि बोर्ड/मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही

बी.ओ.टी. तौलकांटे द्वारा वाहनों की तौल का विवरण मंडी समिति को देने हेतु तौलकांटे के इन्डीकेटर/मशीन को मंडी के एम.आई.एस. सिस्टम से लिंक करना आवश्यक होगा। इस कार्य का व्यय तौलकांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा। इसी प्रकार मंडी द्वारा जारी की जाने वाली अनुज्ञाओं की जानकारी भी मासिक रूप से मुख्यालय को एवं बी.ओ.टी. तौलकांटा संचालक को देना अनिवार्य होगा।

51. तौलकांटे की कार्य प्रणाली का निरीक्षण/जांच, शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा, जिसमें संबंधित तौलकांटा संचालक द्वारा पूर्ण सहयोग देना होगा।

52. तौलकांटा संचालक पर कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट, मण्डी अधिनियम, उपविधि के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर शासन/वरिष्ठालय द्वारा जारी पत्र/परिपत्र/संशोधन पत्र/निर्देश, तौलकांटा संचालक पर बंधनकारी होंगे, जिसका पालन संबंधित द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। तौल संबंधी किसी अपराध के लिए अनुबंधों के प्रावधानों के तहत एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं मध्यप्रदेश विधिक अधिनियम 2011 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

53. तौलकांटे में संचालन के दौरान कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसे अविलंब ठीक करना होगा तथा नाप-तौल निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर मण्डी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि तौलकांटे की खराबी 48 घण्टे तक ठीक नहीं की गई तो मासिक किराए के 5 प्रतिशत अतिरिक्त पैनाल्टी प्रतिदिन के हिसाब से ली जावेगी।

54. तौल में कोई अन्तर नहीं आवे इस हेतु तौल की शुद्धता की जांच हेतु मापतौल के नियमानुसार एक टन के क्षमता के मानक बॉट आवश्यक है जिसमें 20 किलों से लेकर 50 किलो तक के बॉट कुल-1000 किलोग्राम मानक वजन/बॉट भी हर समय तौलकांटे पर उपलब्ध रखना आवश्यक होगा। इन मानक वजन/बॉटों को भी प्रतिवर्ष नाप-तौल निरीक्षक से स्टेपिंग, केलीब्रेशन, सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।

55. तौलकांटा आवंटन में विहित एवं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नही किये जाने पर अथवा नियम विरूद्व आवंटन कार्यवाही होने पर प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच करवाकर तौलकांटा संचालक एवं मण्डी के सचिव को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त निर्देश/आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत होगें और प्रबंध संचालक द्वारा जारी निर्देश/आदेश उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

56. बी.ओ.टी. के आधार पर तौलकांटों की स्थापना एवं संचालन के कार्य के लिए निष्पादित अनुबंध की किसी भी शर्त का आवंटिती तौलकांटा संचालक द्वारा उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उक्त ठेके को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति लिखित सूचना देकर निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, परन्तु ऐसे निरस्त आदेश पारित किये जाने के पूर्व तौलकांटा संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा।

57. विवाद की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल होंगे, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा तथा उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

58. न्यायालयीन वाद-विवाद की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र संबंधित मण्डी समिति का जिला न्यायालय तथा मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय भोपाल रहेगा।

59. राजसात किये तौलकांटे के पुनः संचालन नियम :-

कंडिका क्रमांक 35 तथा कंडिका क्रमांक 38 में राजसात की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, राजसात किये तौलकांटे का मूल्यांकन सचिव, कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग तथा संयुक्त संचालक की समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें संरचना एवं तौलकांटे एवं उसके अनुषांगिक उपकरण यथा सामग्री की लागत शामिल होगी एवं इसका अनुमोदन अधीक्षण यंत्री, मंडी बोर्ड, भोपाल द्वारा किया जायेगा।

59.1 उक्त मूल्यांकन राशि को तौलकांटे की निविदा हेतु संरचना का प्राक्कलित मूल्य माना जायेगा।

59.2 संचालन हेतु नवीन निविदा आमंत्रित करते समय वार्षिक प्रीमियम के ऑफर के साथ-साथ जस तौलकांटे की राशि का ऑफर भी आमंत्रित किया जायेगा।

59.3 तौलकांटे के संचालन हेतु न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम राशि कंडिका 21 अनुसार होगी।

59.4 प्रत्येक निविदाकर्ता द्वारा पृथक पृथक प्रपत्र में ऑफर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ऑफर किसी भी स्थिति में प्राक्कलित मूल्य से कम नहीं होगी।

59.5 निविदाकर्ता के दोनों ऑफरों का परीक्षण कर अधिकतम ऑफर के निविदाकार का चयन किया जायेगा।

59.6 आवंटित किये जाने वाले तौलकांटे की भूमि का किराया राजसात अवधि के दौरान निर्धारित राशि ही होगी किराए की राशि में 03 वर्ष पश्चात 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

59.7 तौलकाटा आवंटन की अवधि 20 वर्ष की होगी तथा इसके उपरान्त आपसी सहमति से समयवाधि 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

59.8 निविदाकार द्वारा जमा धरोहर राशि अनुबंध पूर्ण होने के उपरान्त वापिस जायेगी। परन्तु इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा।

आयुक्त मंडी म.प्र. सह प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण/तौलकांटा/2022/ भोपाल, दिनांक /12/2022

प्रतिलिपि:-

01. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष मण्डी बोर्ड भोपाल
02. अपर मुख्य सचिव म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल
03. निज सहायक आयुक्त मंडी म.प्र. सह प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल
04. अपर संचालक (समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल
05. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री(समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल
06. संयुक्त संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय (समस्त)
07. कार्यपालन यंत्री म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग (समस्त)
08. भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)
09. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति समस्त की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त मंडी म.प्र. सह प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल